भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

13AA 467381

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.........06 कर्णप्रयाग......... निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं... अरुण कुमार मैठाणी पुत्र/ ~~पुत्री/ पत्नी~~ ... बसंत बल्लभ मैठाणी आयु ... 41 ... वर्ष, जो.............................. का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/ शपथ पत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ ~~करती हूं~~.....

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास सं दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं .... नहीं ....

(ii) पुलिस थाना (थाने) .... नहीं .... जिला(जिले) .... नहीं .... राज्य .... नहीं ....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है .... नहीं ....

(iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई .... नहीं ...

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/ किये गये थे .... नहीं ....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं ...... नहीं।

NOTARY
Kunwar Singh Bisht
Advocate & Notary
Garhwal (Chamoli)
Regn. No.
GOVT. OF UTTARAKHAND

...के किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.............शून्य (नहीं)..............

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है ....नहीं।..............

(iii) पुलिस थाना (थाने)..........नहीं........ जिला (जिले)...........नहीं..... राज्य.....नहीं..........

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है...................नहीं..............

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे ....नहीं...........

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/ रोके गए हैं ....नहीं..........

स्थान : गोपेश्वर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख : 11-01-2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

....गोपेश्वर...............स्थान पर आज तारीख ....11-01-2012.............. को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।

NOTARY
Kunwar Singh Bisht
Advocate & Notary
Gopeshwar
Regd. No. 05 (11)/200
GOVT. OF UTTARANCHAL

...that Shri/Smt. ....
The deponent is identified by.......
Sworn & Verified the contents of this
Affidavit at 11-1-12

KUNWAR SINGH BISHT
Advocate & Notary
Gopeshwar (Chamoli)
Regn. No. 05 (11)/2005